

कार्यालय: औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, अलवर

क्रमांक:- 252

दिनांक:- 20.04.2021


कोरोना संक्रमण के तेज रफतार से प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में घोषित जन अनुशासन पखवाडा के मध्य नजर कैम्प भिवाडी सहित इस न्यायालय के कॉलम संख्या 02 में वर्णित पेशियों पर नियत अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों को छोडकर शेष प्रकरणों में कॉलम संख्या 03 में वर्णित अनुसार आगामी पेशी (कॉमन) नियत की जाती है:-

| (1) | (2) | (3) |
|--------|--|---------------------------------------|
| क्र0स0 | नियत पेशी | आगामी पेशी (कॉमन) |
| 1. | 20, अप्रैल, 2021 मंगलवार | 25, मई, 2021 मंगलवार |
| 2. | 22, अप्रैल, 2021 गुरुवार | 27, मई, 2021 गुरुवार |
| 3. | 23, अप्रैल, 2021 शुक्रवार (कैम्प भिवाडी) | 18, जून, 2021 शुक्रवार (कैम्प भिवाडी) |
| 4. | 26, अप्रैल, 2021 सोमवार | 31, मई, 2021 सोमवार |
| 5. | 27, अप्रैल, 2021 मंगलवार | 01, जून, 2021 मंगलवार |
| 6. | 28, अप्रैल, 2021 बुधवार | 02, जून, 2021 बुधवार |
| 7. | 29, अप्रैल, 2021 गुरुवार | 03, जून, 2021 गुरुवार |
| 8. | 30, अप्रैल, 2021 शुक्रवार (कैम्प भिवाडी) | 25, जून, 2021 शुक्रवार (कैम्प भिवाडी) |
| 9. | 03, मई, 2021 सोमवार | 07, जून, 2021 सोमवार |

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2021 दिनांक 19.04.2021 के अनुसरण एवं एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के पत्र क्रमांक स्था.2021/12862 दिनांक 20.04.2021 की अनुपालना में अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण/प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के ई-मेल आई डी lc-alw-rj@hcraj.nic.in पर प्रेषित कर इस शर्त पर दर्ज करवाए जा सकते है कि उनकी मूल प्रति न्यायालय में सुचारु कार्य प्रारम्भ होने पर अविलम्ब प्रस्तुत कर दी जावेगी। ऐसे अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों/प्रार्थना पत्रों में पक्षकार के ई-मेल आईएस एवं वाट्सऐप नम्बर अंकित किए जाने पर ही उन्हें विचार में लिया जावेगा।

2. उक्त परिपत्रानुसार अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई वाट्सऐप नम्बर 8279080722 के माध्यम से की जावेगी।

3. रीडर इस आदेश की एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाए तथा एक प्रति वाट्सऐप के जरिए सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय अलवर को प्रेषित कर जिला न्यायालय अलवर की वेब साईट पर अपलोड करवाए। इस आदेश की प्रति स्थानिय/सम्बधित वार एसोसिएशन के अध्यक्ष/महासचिव को भी वाट्सऐप के जरिए प्रेषित की जावे। उक्त कॉमन पेशीयों की सी आई एस पर भी प्रविष्टि अविलम्ब की जावे।


न्यायाधीश,
औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय,
अलवर-राज0।